आमाल की पाबन्दी एतेदाल के साथ

हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी दब.

बिस्मिल्लाहीर रहमान्नीर रहीम

एतेदाल की बरकत

अल्लामा नववी (रह) ने एक और उन्वान कायम किया हे के आमाल के ऊपर पाबन्दी करे, वैसे आदमी जब दरमियानी राह इख्तियार करेगा तो उस्के नतीजे में अपने आप ही उस्को पाबन्दी भी नसीब होगी.

आम तौर पर आदमी जब ज़ियादती करने लगता हे तो वो पाबन्दी नहीं कर पाता.

इस सिलसिले में कुरान की आयात पेश की हे तर्जुमा- क्या ईमान वालो के वास्ते वक्त नहीं आया के उन्के दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और जो कुराने पाक उतरा हे उस्के सामने झुक जाये यानी कुराने पाक में अल्लाह ताला ने जो चीज़े और अहकाम उतरे हे उन्के सामने ईमान वालो के दिल झुक जाये और उस्के लिये फर्माबरदार हो

जाये, क्या ये वक्त नहीं आया?

और उन लोगो की तरह न हो जाये जिन को उनसे पहले किताब दी गयी, फिर उन्को अल्लाह ताला की तरफ से जिन आमाल के करने के लिये कहा गया था उन्को पूरा करने में उन्होने पाबन्दी से काम नहीं लिया, बल्के उसमे कोताही करते रहे और उनपर एक ज़माना गुज़र गया जिसके नतीजे में उन्के दिल सख्त हो गये.

इस आयात के लाने का मकसद यही हे के आदमी जब इबादात के अन्दर कोताही और सुस्ती करने लगता हे और आमाल में पाबन्दी से काम नहीं लेता, और पाबन्दी न करने का ज़माना जियु-जियु लम्बा होता जाता हे तो उस्के नतीजे में उस्के दिल में एक किस्म की सख्ती पैदा हो जाती है.

बुजरूगो से भी सुना हे के, मामूलात जब छूट जाये और उसपर एक ज़माना गुज़र जाये तो फिर दोबारा बडी मुश्किल और

बहोत मशक्कत उठाने के बाद पाबन्दी नसीब होती हे, वो इसलिये के एक ज़माने तक छोड ने के नतीजे में उस्के दिल में एक तरह की सख्ती पैदा हो जाती हे और इस्की वजह से उसपर पाबन्दी जल्दी नसीब नहीं हो पाती.

किसी मामूल को शुरू करने के बाद छोडना नुकसान देने वाला है.

इस आयात को लाकर इस बात की तरफ भी मुतवज्जेह किया के आदमी जो भी आमले खैर इख्तियार करे उस्से हमेशा करे.

एक तो फराइज़ हे, पाँज वक्त नमाज़े, रमजान के रोज़े, ज़कात की अदायगी, और जो चीज़े अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज़ और वाजिब की गयी हे, उन्को तो अंजाम देना ही हे, उन्को तो छोडने की सूरत में आदमी गुनेहगार होगा, लेकिन इन्के अलावा आदमी अल्लाह ताला को खुश करने के लिये जो नफिल अमल शुरू करे तो फिर उनपर

पाबन्दी भी करे.

मिसाल के तौर पर उसने एक मामूल बना लिया के रोज़ाना इशरक की नमाज़ पढेगा, या अव्वाबीन का मामूल बना लिया, या तहज्जुद का मामूल बना लिया, तो अगरचे इशरक, अव्वाबीन, तहज्जुद, चाशत वगेरा जितनी भी नमाज़े हे, ये फर्ज़ और वाजिब नहीं हे, लेकिन जब उसने इन आमाल को शुरू किया तो मकसद ही ये होता हे के इन्के ज़रिये वो अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना चाहता है.

जब तक शुरू नहीं किया था तब तक तो कोई हरज़ की बात नहीं थी, लेकिन शुरू करने के बाद फिर उन्को छोड देना नुकसान देने वाला है.

ये तो ऐसा ही हे के आप कोई दरख्त लगाये, बीज डेल, या उस्की कलम लगाये और उस्के बाद उस्को पानी देना छोड दे, उस्की हिफाज़त करना छोड दे तो वो सुख

जायेगा और खतम हो जायेगा या तो दरख्त ही न लगाते, लेकिन जब लगाया ही हे तो उस्की हिफाज़त का एहतेमाम बहोत ज़रूरी है.

इस्सी मुनासबत से दूसरी आयात पेश की है

इस्से पहले अम्बिया(अल) के भेजने का तज़किरा हे, चन्द अम्बियाए किराम के नाम लिये गये हे, फिर बारी ताला फरमाते हे के इस्के बाद हमने हजरत ईसा(अल) को भेजा, जो मरयम के साहबज़ादे हे और हमने उन्को इंजील दी जिस में अल्लाह ताला की तरफ से बन्दों के लिये हिदायते थी और हमने उन लोगो के दिलो में जिन हो ने हजरत ईसा(अल) की पैरवी की, नरमी और मेहेरबानी दाल दी यानी हजरत ईसा(अल) के जो मानने वाले थे और उनपर ईमान करने वाले थे, उन्के दिलो में हमने नरमी और शफकत का जज़्बा दाल दिया.

रहबानीयत का पस मन्ज़र

रहबानीयत का मतलब ये हे के वो जाईज लज़्ज़ते जिन को इख्तियार करने की अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त दी गयी हे, लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और उस्को राज़ी करने के लिये और इस मकसद से के इन जाईज चीज़ो को इख्तियार करने की सूरत में कही हुदूद से आगे न बढ जाये, इसलिये वो इन जाईज लज़्ज़तो से अपने आपको बचता हे, तो ये रहबानीयत है.

पिछली उम्मतों में खास कर ईसाइयो में रहबानीयत का रिवाज पड गया था, और इस्की इब्तिदा यु हुवी के उन्के बादशाहो में और फिर बादशाहो के देखा देखी लोगो में जो मालदार थे, उन्के अन्दर अल्लाह ताला के हुकम की खिलाफ-वर्ज़ी और उस्की नाफरमानी का सिलसिला शुरू हुवा, तो उनमे जो लोग अल्लाह ताला के फर्माबरदार थे, उन्होने नाफरमानो को अल्लाह की

नाफरमानियों से रोकने के लिये उन्का मुकाबला किया, लेकिन चुके नाफरमानो के पास कुव्वत और ताकत थी और उन्की तादाद भी ज़्यादा थी, लिहाज़ा जो लोग इनको नाफरमानियों से रोकने के लिये मैदान में आये उन्को इन नाफरमानो ने कतल कर दिया.

इस्के बाद दूसरी जमात पैदा हुवी जिस ने कुव्वत से रोकने के बजाये उन्ही के दरमियान में रहते हुवे अल्लाह ताला के हुकम को पूरा करने का और उस्की नाफरमानियों से अपने आपको बचने का एहतेमाम किया और साथ ही साथ जो लोग अल्लाह ताला के हुकम को तोडते थे और नाफरमानियों में मुब्तला थे, उन्को कुव्वत से नहीं बल्की ज़बान से रोकने का सिलसिला जारी रखा.

उन नाफरमान लोगो ने इस्को भी बर्दाश्त नहीं किया और हुकूमत और ताकत और

माल और दौलत के नशे में आकर ऐसे लोगो को भी कतल कर दिया.

इस्के बाद जो लोग आये उन्होने देखा के इन्के दरमियान रहते हुवे ज़बान से भी इनको रोकते हुवे अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना मुश्किल हे, इसलिये के ये लोग कतल कर देते हे, तो फिर उन्होने एक सूरत ये इख्तियार की के चलो लोगो से काट कर जंगल में और पहाड के ऊपर चले जाये और वह जाकर दुन्या की सब चीज़ो को छोड दे, बीवी बच्चो को छोड कर, अपने आपको सरे मुआशरे और समाज से अलग करके अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल करदे, ताके इन्के दरमियान में रहकर बुराइयों में फसने की भी नौबत न आये, और जब अलग रहेंगे तो उन्की तरफ से जो खतरा था उस्से भी अपने आपको बचा लेंगे.

ये जो तीसरा गिरोह पैदा हुवा उन्होने

तन्हाई इख्तियार की और अल्लाह ताला की इबादत का एहतेमाम करने ही के लिये अपने आपको अलग कर लिया, इसी को रहबानीयत से ताबीर किया गया है.

इस्लाम में रहबानीयत नहीं है

इस्लाम में तो रहबानीयत के नज़रये को पसन्द नहीं किया गया हे.

नबी करीम ﷺ का इरशाद हे इस्लाम के अन्दर रहबानीयत नहीं हे. (मुसनदे अहमद २२२/६)

बल्की जिहाद को रहबानीयत से ताबीर किया गया हे. (मुसनदे अहमद ८४/३)

आदमी जिहाद में जाता हे तो अपने सरे माशगिल और दुन्यादारी छोड कर अल्लाह की रह में निकलता हे, गोया जिहाद में आदमी अल्लाह ताला की हलाल की हुवी चीज़ो को अपने लिये ममनू ठहरा लिया करता है.

हलाल को इस्तेमाल न करने की शक्ल और उन्का हुक्म

वैसे अल्लाह ताला की हलाल की हुवी चीज़े कोई आदमी अपने ऊपर हराम करले और उस्के इस्तेमाल से अपने आपको रोकने लगे तो उस्मे तफ्सील है.

लिहाज़ा अगर उस हराम की हुवी चीज़ का हलाल होना किसी नस्से काटी से साबित हे और वो अकीदे के एतेबार से उस्को हराम ठहराता हे, तो इस्लाम में बाकी ही नहीं रहेगा, इसलिये के अल्लाह ताला की हलाल की हुवी चीज़ को हराम करार देना कुफ्र है.

और एक सूरत तो ये हे के अकीदे के एतेबार से तो वो उस्को हलाल समझता हे, लेकिन अमली तौर पर उसने अपने आप पर उस्को हराम कर लिया, तो ये भी गुनाह है.

इसलिये के कुराने पाक में इस्से भी मना किया गया ए ईमान वालो! अल्लाह ताला ने जो चीज़े पाक और हलाल ठहराई हे उन

पाकीज़ा चीज़ो को अपने ऊपर हराम न करलो.

दूसरी सूरत ये हे के किसी हलाल चीज़ के इस्तेमाल में आदमी के लिये कोई दीनी या दुन्यावी नुकसान हे, और अपने आपको उस नुकसान से बचने के लिये उस्से परहेज़ करता हे, मिसाल के तौर पर कोई बीमारी हो गयी, और तबीब ने मशवरा दिया के फला चीज़ इस्तेमाल न कीजिये, नमक या शकर या गोश्त इस्तेमाल न कीजिये, तो नमक, शकर और गोश्त अपनी जगह पर हलाल चीज़े हे लेकिन इस्के इस्तेमाल के नतीजे में हम अपनी बीमारी की वजह से और ज़्यादा नुकसान में पड जायेंगे, लिहाज़ा अपने आपको जिस्मानी नुकसान से बचने के लिये अगर कोई आदमी इन चीज़ो को इस्तेमाल नहीं करता, तो इस सूरत में कोई गुनाह की बात नहीं है.

बहुत सी चीज़ो का इस्तेमाल जिस तरह

जिस्मानी बीमारी के अन्दर नुकसान देता हे इसी तरह कभी रूहानी बीमारी के अन्दर भी नुकसान देह होता हे, मिसाल के तौर पर एक आदमी की तबियत में शहवत का गलबा हे, और अभी निकाह का भी इंतेज़ाम नहीं हुवा, और उस्को ये डर हे के अगर में गोश्त खाऊंगा तो तबियत में और ज़्यादा इन्तेशार पैदा होगा, और हो सकता हे के में ज़िनाकारी और बदकारी में मुब्तला हो जावु, लिहाज़ा अपने आपको गुनाह से बचने की नियत से अगर वो गोश्त नहीं खा रहा हे, तो इस्की गुंजाईश है.

या मसलन लोगो के अन्दर मिल जुलकर रहेगा तो गीबत में मुब्तला हो जायेगा, या झूठ में मुब्तला हो जायेगा, लोगो के साथ लडाई झगडे में मुब्तला होने का डर हे, इसलिये अपने आपको लोगो से अलग रखता हे, उन्के साथ मिलता जुलता नहीं, तो इस्की इजाज़त है.

ये एक तरह का ज़ियादती हद से आगे बढना हे.

तीसरी सूरत ये हे के, ऐसी चीज़े जो मबाहत (करे तो सवाब मिले और न करने पर कोई गुनाह न हो) से ताल्लुक रखती हे और नबी करीम صلى الله عليه وسلم ने खुद इस्तेमाल करके अमली तौर पर उम्मत को बतला दिया और इस तरह अल्लाह ताला की रूख्सतो की तरफ तवज्जुह दिलाई के अल्लाह ताला ने इन्के इस्तेमाल करने की सहलाते दी हे, फिर भी कोई आदमी ऐसी चीज़ो के मामले में अपने आप पर सख्ती करते हुवे सहूलत को अपना ने के बजाये, किसी दुश्वारी के पहलु पर, जिसे अज़ीमत कहा जाता हे, अमल करे तो ये एक तरह का ज़ियादती हे,

और अल्लाह ताला को जिस तरह ये पसन्द हे के उस्के अज़ीमत वाले हुकम पर अमल किया जाये, उस सी तरह अल्लाह ताला इस्को भी पसन्द करता हे के उस्की रूख्सतो

पर अमल किया जाये, और ये आदमी नबी करीम صلى الله عليه وسلم के उस अमल को जाईज ठहरा ने और उस रूखसत को अमली तौर पर बतलाने के बावजूद उस्को इख्तियार नहीं करता, जो एक तरह का ज़ियादती हे, इस्से भी मना किया गया हे.

बहरहाल! किसी जाईज को इस्तेमाल न करने की ये तीन सुरते हे, इसमें दूसरी सूरत जिस में वो अपने आपको जिस्मानी या रूहानी नुकसान से बचने के लिये अगर उस्से परहेज़ करता हे तो इस्की इजाज़त है.

मकसद को नज़र अंदाज़ कर देना बुरा है

इस आयात में यही बतलाया हे के वो गिरोह जिस ने रहबानीयत को अपनी तरफ से शुरू किया था.

हमने उनपर इस्को लाज़िम नहीं किया था यानी बनी इजराइल में ये तीसरा गिरोह पैदा हुवा, जिन्हो ने ये समझते हुवे के लोगो के दरमियान रहते हुवे अल्लाह ताला के

हुकम पर अमल नहीं कर सकेंगे, इसलिये उन्होने लोगो से दुरी इख्तियार की, और पहाडो के ऊपर या जंगल में जा कर तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गये, और वो सब चीज़े जो अल्लाह ताला की हलाल की हुवी थी, उन्को छोड दिया, अल्लाह ताला फरमाते हे, हमने उनपर लाज़िम नहीं किया था के तुम ये तरीका इख्तियार करो बल्की उन्होने खुद ही अपने तौर पर अल्लाह ताला को खुश करने के लिये ये तरीका शुरू कर रखा था.

हवाला- हदीस के इस्लाही मज़ामीन उर्दू से इसका लिप्यान्तरण किया है. (नोट- यह दरस का खुलासा हे)